न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/98

सुरजीत सिंह आत्मज बेसाख सिंह जाति सिख निवाी लाडपुरा की नहर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. राम प्रसाद आत्मज रामनारायण जाति नाई निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. एस0 एच0 ओ0 (थानाधिकारी) कैथून जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बृह्मानन्द शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.52 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.56 हैक्टर कुल 1.09 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि दिनांक 24.06.1989 को आवंटित की गई तथा दिनांक 13.06.2002 को उक्त भूमि पर कब्जा संभलाया था । प्रतिवादी कम 01 ने दिनांक 28.06.2002 को वादी द्वारा बोई गई फसल को नष्ट कर दिया तथा उक्त आराजी पर कब्जा करके चावल की फसल बो दी जिसकी रिपोर्ट वादी ने थाने में कर तथा धारा 145 सीआरपीसी के तहत वादग्रसत आराजी पर प्रतिवादी कम 03 थाना कैथून को रिसीवर नियुक्त कर दिया । उक्त आवंटित भूमि पर वादी वापस कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की बेदखली की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी कम 01 को बेदखल किया जाकर वापस कब्जा वादी को संभलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को प्रदर्शित हुये बिना साक्ष्य में पढकर एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.10.2016 को मनमाने तौर पर उक्त प्रकरण में तारीख पेशी नियत नहीं होते हुए भी अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य पेश न करके का तथ्य अंकित कर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द कर दी जबकि अपीलान्ट के अधिवक्ता या अपीलान्ट उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं हुए हैं । उक्त प्रकरण दिनांक 13.10.2016 की कॉज लिस्ट में भी अंकित नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.01.2017 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए निर्णय हेतु दिनांक 25.01.2017 कॉल लिस्ट में अंकित की थी उक्त तारीख पेशी को काटकर अवैध रूप से दिनाक 19.01.2017 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी तथा वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल करने की पालना रिपोर्ट दिनांक 10.03.2017 को पेश करने की आदेशिका लिख दी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनरस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थिति नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेजात को प्रदर्शित किये बिना साक्ष्य में पढकर एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की है विधि–विरूद्ध है । मानमाने तौर पर अपीलान्ट के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने का तथ्य अंकित कर साक्ष्य बन्द की है जबकि अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक उस दिन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 02 और 03 के खिलाफ न तो एक तरफा कार्यवाही की है और न ही उनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति अंकित की गई है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । दस्तावेजात की विवेचना नहीं की है । दस्तावेजात वादी के कॉस्ट पर रिकॉर्ड पर लिये गये थे पर वादी द्वारा कॉस्ट अदा नहीं करवायी है फिर भी दस्तावेजात को साक्ष्य में पढा गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलान्ट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम की थी जो पृष्ठ संख्या 27 पर संलग्न हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.01.2017 को प्रतिवादी अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है और अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा वादी स्वीकार किया गया है परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है ।

10. पत्रावली पर साक्ष्य के रूप में रामप्रसाद पीडब्ल्यू–1 को शपथ पत्र पेश किया गया है और रामपाल के बयान पीडब्ल्यू–2 व रामभरोस के बयान पीडब्ल्यू– 03 के रूप में पत्रावली पर संलग्न है परन्तु वादी के द्वारा अपने शपथ पत्र की न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं करवायी गई है और न ही पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है जो कि सीपीसी की पालना में अनिवार्य है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से सीपीसी की पालना में तनकीवार निर्णय पारित करें । रेस्पोडेन्ट वादी अपने शपथ पत्र की ताईद हेतु परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेजात को प्रदर्शित करवावें और उनसे जिरह का अवसर प्रतिवादी को प्रदान किया जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा